

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/98

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED NO. D.L .- 33002/98



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58] No. 58]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 16, 1998/चैत्र 26,1920 DELHI, THURSDAY APRIL 16, 1998/ CHAITRA 26, 1920 [ रा.रा.रा.क्षे. सं. 101

[N.C.T.D. No. 101

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (लेखा) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998

सं. फा. 6/5/78-वित्तलेखा/खंड-2,--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल इस सरकार की दिनांक 14 जुलाई, 1995 की अधिसूचना संख्या फा. 6(5)78/-वित्त लेखा खंड-1 तथा दिनांक 17 नवंम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. फा. 6(5)78/वित्त लेखा खंड-11, द्वारा यथा-संशोधित दिनांक 21 नवम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या फा. 6(5)78/वित्त लेखा-II के अनुसार जारी की गई उपराज्याल/मुख्यमंत्री राहत कोष (आय तथा व्यय विनियमन) नियमावली, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:--

- 1. पैरा 4 की पंवित 4 में ''सकेगा'' तथा ''समकक्ष'' के बीच सन्निविष्ट किये जाएं:--
- ''उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहत कोष के रखरखाव संबंधी रु. 1000/- तक के आकस्मिक व्यय के भुगतान के लिए वित्त सचिव, दिल्ली शासन का अनुमोदन/स्वीकृति अपेक्षित होगी"।
- 2. पैरा 4 की पंक्ति 4 में आए शब्द''उपराज्यपाल महोदय'' तथा ''की'' के बीच निम्न शब्द सिन्निविष्ट किये जाएंगे:—
  - "अथवा सचिव वित्तः."
  - 3. पैरा 4 की पंक्ति 5 में आए शब्द ''आर्थिक सहायता'' के पश्चात् निम्नलिखित वाक्यांश जोडा जाएगा :—
  - ''/आकस्मिक व्यय की पूर्ति''
  - 4. पैरा 5 की पंक्ति 6 के अन्त आए शब्द व पूर्ण विराम ''जाएगाी'' और शब्द ''पूर्वोक्त'' से शुरू वाक्य के बीच निम्नलिखित वाक्य जोड़े
  - ''उपराज्यपाल/मुख्यमंत्री राहत अभिलेख के रखरखाव से संबंधित आकस्मिक व्यय पूर्ति के लिए निधि का प्रयोग किया जाएगा''।

आदेशानुसार,

सी.एमं. शर्मा, उप सचिव

1054 DG / 98

### FINANCE (ACCOUNTS) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 1998

No. F. 6/5/78-Fin. [(A/Cs)]/Vol. II.—The Lieutenant Governor, Delhi is pleased to make the following amendments in the Lieutenant Governor/Chief Minister Relief fund (Regulation of income and expenditure) Rules, 1994 issued vide this Government's Notification No. F. 6(5)/78 Fin (A/Cs)/Vol. II dated 21st November, 1994 as amended vide Notification No. F. 6(5)/78-Fin (A/Cs)/Vol. II dated the 17th November, 1997, namely:—

#### **AMENDMENT**

- 1. In 3rd line of para 4, the following words be inserted between the words 'Chief Minister' and "After" :-
- "Payment for contingent expenditure up to Rs. 1,000/- relating to maintenace of LG/CM Relief Fund, will require the approval/sanction of the Finance Secretary, GNCT of Delhi.
- 2. In 4th line of para 4, the following be inserted between the words "Lieutenant Governor," and "the" :—
  "Or Finance Secretary",
- 3. In 5th line of para 4, add the following after deleting full stop after the words "financial assistance" "/meeting contingent expenses."
- 4. In 5th line of para 5, add following between the sentence ending with the words "etc." and sentence starting with the word "Grant":—
- "The Fund will also be utilized for meeting contingent expenses relating to the maintenance of LG/CM Relief Fund Records."

By Order, C.M. SHARMA, Dy. Secy.

# गृह ( पुलिस-II ) विभाग अधिसूचना दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998

सं. फा. 8/23/98 - गृ.पु. II/3432.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 (1974 की 2) की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-74-VII (i) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराण्यपाल, श्री अशोक कुमार आर्य, अधिवक्ता को भा०द०सं० की धारा 419/420/468/471/120-बी के तहत थाना राजोरी गार्डन दिल्ली में दर्ज प्र०स्०रि० संख्या 145/88 मामले में (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार) राज्य की ओर से सक्षम क्षेत्राधिकारी न्यायालय में संचालन हेतु अगले आदेश तक विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त श्री अशोक कुमार आर्य, अधिवक्ता को (दिल्ली सरकार) राज्य की ओर से टोकन शुल्क के रूप में मात्र एक रूपया दिया जाएगा। धारा 24 (8) के तहत श्री ए०बी॰ टण्डन अधिवक्ता की इस मामले में विशेष लोक अभियोजक के रूप में इस सरकार की दिनांक 5.6.96 को जारी अधिसूचना संख्या 8/23/96—गृ॰पु॰ II/4539 द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना का अतिक्रमण करते हैं।

## HOME (POLICE -II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 16th April, 1998

No. F. 8/23/98-H.P. II/3432.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 11011 (2) 74-VII (i), dated the 20th March, 1974, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Arya, advocate as Special Public Prosecutor for conducting case FIR No. 145/88, P. S. Rajouri Garden, Delhi under Sections 419/420/468/471/120-B of IPC on behalf of the State (Government of the National Capital Territory of Delhi) in the court of competent jurisdiction till further order.

The said Shri Ashok Kumar Arya, Advocate will be paid a token fee Re. 1/- (Re. one rupee only) by State (Government of Delhi).

This Government's notification No. F. 8/23/96-HP-II dated the 5th June, 1996 issued under said sections 24 (8) appointing Shri A. B. Tandon, Advocate as Special Public Prosecutor in this case is hereby superseded.

# आदेश दिल्ली, 16 अप्रैल, 1998

सं. फा. 2/1/88 - गृ.पु. II/3441.— चूंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है ।

इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के खण्ड (ई) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तायों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल यह निदेश देते हैं कि दिल्ली पुलिस आयुक्त भी 19.04.98 से 18.07.98 तक की अवधि के दौरान उक्त धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग निरोध प्राधिकारी के रूप में कर सकते हैं।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर सी॰ बी॰ वर्मा, उपसचिव (गृह)

# ORDER Delhi, the 16th April, 1998

No. F. 2/1/88-H.P. II/3441.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is satisfied that it is necessary so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub section (3) of Section 3, read with clause (e) of Section 2 of the National Security Act, 1980. The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to direct that during the period 19.04.98 to 18.07.98, the Commissioner of Police, Delhi may also exercise the powers of detaining authority under Sub section (2) of the said Section 3.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi. C. B. VERMA, Dy. Secy. (Home)